पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन

Letter No. / पत्रांक: 1281/2...

Date / दिनांक: 24-12-2018

सेवा में,

श्री मनोज कुमार,
पिता-स्व0 कपिलदेव प्रसाद यादव,
पता-कुम्हरार नया टोला,
पटना,बिहार।

विषय :- **प्लॉन केस सं0-P/Kumhrar-PRN-B+G+7/257/2016 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P/Kumhrar-PRN-B+G+7/257/2016 दिनांक 26.07.16 के संदर्भ में **श्री** मनोज कुमार, पिता-स्व0 कपिलदेव प्रसाद यादव, पता-कुम्हरार नया टोला, पटना,बिहार के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित..... विकास योजना / आयोजना प्राधिकार/ आयोजना स्कीम केकैडेस्टल सर्वे प्लॉट सं0-खाता संख्या-86 तौजी सं0-मौजा-कुम्हरार, थाना सं0-12, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/ निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है ।

(क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा ।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1472.13 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा ।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.41 मीटर से 13.61 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी ।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/ आयोजना प्राधिकारों / या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 66.86 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।

Scanned by CamScanner

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/ हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी ।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है । भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/ विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे ।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया

(ढ़) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

Gulshan
19/12/18

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना ।

Scanned by CamScanner

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन

Letter No. / पत्रांक: 12813

Date / दिनांक: 24-12-2018

सेवा में,

1. श्री मनोज कुमार,
पिता-स्व0 कपिलदेव प्रसाद यादव,
पता-कुम्हरार नया टोला,
पटना,बिहार।

2. **अभियंता, मुकेश कुमार सिंह, निबंधन सं0-AR/43/15**
पटना नगर निगम।

विषय :- **प्लॉन केस सं0- P/Kumhrar-PRN-B+G+7/257/2016 के निबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 66.86 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/ भवन निर्माणकर्त्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 66.86 वर्ग मीटर) भू-पट्टी छोड़ कर हीं निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ हीं कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय ।

अत: निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 66.86 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर हीं निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र-XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ हीं निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय अभियंता से समय-समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/ अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

24/12/18

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Scanned by CamScanner